IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उर्मिला शास्त्री : एक विस्मृत गाँधीवादी महिला आन्दोलनकारी

डा. मनीषा दीवान,

(Reg. I.D. No. – 241969)

एस.एन.सेन बी.वी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर

च्मतउंदमदज ।ककतमेरू क.2ए गंगासागर, गंगानगर, मेरठ – 250001 उत्तर प्रदेष

मुख्य बिन्दु

बिन्दु 1	आह्वान
बिन्दु 2	गाँधीवादी
बिन्दु 3	मेरठ
बिन्दु 4	जेल
बिन्दु 5	संस्मरण

सारांष

उर्मिला शास्त्री : एक विस्मृत गाँधीवादी महिला आन्दोलनकारी

भारतीय स्वतन्त्रता संधर्ष का इतिहास में महिलाओं के योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा राष्ट्रीय अस्मिता को जाग्रत करने में उनकी महती भूमिका सराहनीय है।

जब युग–पुरुष महात्मा गाँधी ने भारतीय महिलाओं से स्वतन्त्रता संधर्ष में भाग लेने का आह्वान किया तो भारतीय महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलनों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया न केवल शहरों में अपितु कस्बों व गॉवों की भी साधारण महिलाओं ने असीम देशभक्ति का परिचय देते हुए विदेशी वस्त्रों की दुकानों, शराब की दुकानों पर धरना दिया, लाठियों व गोलियों का सामना किया, जेल गई।

कितनी ही महिलाएं जेल में ही मृत्यु का ग्रास बन गयी किन्तु फिर भी उनके उत्साह व बलिदानी वेला में उनके आत्मोसर्ग में न्यूनता नहीं आने पायी अपने ध्येय व गाँधी जी के नेतृत्व में अटूट आस्था रखते हुए उन्होने झुकना स्वीकार नहीं किया भले ही उन्हें मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी।

ऐसी ही महिलाओं में से एक अदम्य साहसी, देशप्रेमी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी गाँधीवादी महिला थी – मेरठ की ''उर्मिला शास्त्री''।

मेरठ में 'तूफान मेल' के नाम से जानी जाने वाली उर्मिला शास्त्री जी ने गाँधी जी के आह्मान पर 21 वर्ष की अल्पायु में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया व मेरठ के प्रसिद्ध नौचन्दी मेलें में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व संभाला। इन्होने घर–घर जाकर लोगों को खादी पहनने को प्रोत्साहित किया। शराब की दुकानों पर धरना दिया। भाषणों व सभाओं के माध्यम से लोगों को सत्याग्रह के लिये प्रेरित किया।

17 जुलाई, 1930 को इन्होने ब्रिटिश शासन द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों एवं स्वतन्त्रता के महत्व पर बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। अतः अगले ही दिन सूर्योदय से पूर्व इन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर मुकद्दमा चला। इन्हे छः मास की सजा सुनाई गई। मजिस्ट्रेट ने कहा यदि ये माफी मॉग लेती है तो इनकी सजा माफ कर दी जायेगी किन्तु इन्होने माफी मॉगने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया।

अपने जेल जीवन के संस्मरणों पर इन्होने 'कारागार' नामक पुस्तक लिखी। इनकी यह पुस्तक उस काल खण्ड को जीवंत करती है, जब हमारा देश पराधीन था। न केवल आत्मचरित की दृष्टि से व ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। कस्तूरबा गाँधी जी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर इसे अमूल्य बना दिया है।

''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के समय ये पुनः जेल गई। इस बार वे जेल में गम्भीर रुप से बीमार पड़ गयी। वहॉ इन्हे इलाज से भी वंचित कर दिया गया। जेल में असहनीय पीड़ा सहते हुए भी इन्होने माफी मॉगने से इंकार कर दिया व 33 वर्ष की अल्पायु में होठों पर मुस्कान व दिल में गाँधी जी का स्वप्न लिये मृत्यु को प्राप्त हो गयी। इस प्रकार स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर इन्होने अपना जीवन त्याग दिया।

आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से यदि हम इन प्रेरणादायी किन्तु इतिहास में विस्मृत उर्मिला जी को उनका उचित स्थान दिला पाये तो ये उन्हे हमारी सच्ची श्रद्धाजंलि होगी।

उर्मिला शास्त्री : एक विस्मृत गाँधीवादी महिला आन्दोलनकारी

आज महिलाएँ राष्ट्र निर्माण के कार्य पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर कर रही है व हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है लेकिन एक समय था जब उनकी स्थिति दयनीय थी। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे स्वतन्त्र रुप से कोई बड़ा काम कर सकती है।

ऐसे में एक युग–पुरुष का भारत में आगमन हुआ। महापुरुषों के संकेत से इतिहास की दशा व दिशा बदल जाती है। वे युग पुरुष जिनके आगमन से राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रकृति बदल गई। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हे 'महात्मा' कहा, गाँव–गाँव ने उन्हें 'बापू' कहा तो सारे भारतवर्ष ने उन्हें 'राष्ट्रपिता' कहा। वह मोहनदास करमचन्द गाँधी हाड.माँस का पुतला लंगोटी चादर में प्रकट हुआ। वह व्यक्ति समष्टि का ईश्वरीय रुप आया।

''दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के नूतन शक्तिशाली शस्त्र की सहायता से विजय प्राप्त करके गाँधी जी ने सन् 1915 ई. में भारत लौटें।'' **1**

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लम्बी लड़ाई चली। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये गाँव–गाँव, शहर–शहर यहां तक कि आबाल वृद्व आजादी के नारे लगाने लगें। उन नारों से स्त्री–पुरुष आगे बढ़ते गये। आजादी उच्चारण करने लगे। अंग्रेजी सत्ता की बड़ी शक्ति के सामने भावात्मक राष्ट्रीय शक्ति खड़ी हो गयी।

''गाँधी जी केवल आन्दोलनों के प्रतीक पुरुष ही नहीं थे बल्कि भारत के गहरे नौतिक बोध के आधुनिक नायक भी थे।'' **2**

गाँधी जी आन्दोलनों में महिलाओं की सहभागिता के पूर्ण पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्त्री स्वाभवतः शान्तिप्रिय व अहिंसक होती है। उसमें अत्यन्त पीड़ा सहने व बलिदान करने की अद्भुत क्षमता होती है। अतः ब्रिटिश राज के विरुद्व अहिंसक लड़ाई में महिलाएँ उनकी विचारधारा के अधिक अनुकूल है।

गाँधी जी ने महिलाओं को आजादी के आन्दोलन से जोड़ा व सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की।

मानिनी चटर्जी अपने लेख 1930 : टर्निंग पाइन्ट इन दि पार्टिसिपेशन ऑफ वूमन इन फ्रीडम स्ट्रगल में लिखती है कि ''वर्ष 1930 से पहले मुठ्ठी भर महिलाएँ स्वतन्त्रता संधर्ष में भाग लेती थी। वर्ष 1930 से महिलाएँ स्वतन्त्रता संधर्ष में सक्रिय भागीदारी करने लगी न केवल शहरों में अपितु कस्बों व गाँवों में भी। यह सब महात्मा गाँधी के प्रत्यक्ष व सक्रिय प्रोत्साहन का परिणाम था।'' **3**

1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन से राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी का नया चरण शुरु हुआ। भारत के राजनीतिक पटल पर स्वतन्त्रता संधर्ष में महिलाओं की सहभागिता उनके द्वारा चलाये गये आन्दोलनों के समय उभरकर स्पष्ट हुई जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही। गाँधी जी के नेतृत्व वाले आन्दोलनों का स्वरुप महिलाओं को अपनी सक्रियता के अनुरुप लगता था जिसमें वे अधिकाधिक रुप से भाग ले सकती थी।

अपर्णा बासु लिखती है '' Women were drawn to Gandhi ji by his magnetic personality. his unique naturalness and transparent sincerity. '' **4**

महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महिलाओं को घर से निकलकर आन्दोलन में शामिल होने की अपील की। गाँधी जी ने भारतीय महिलाओं को चरखे से सूत कातनें और अपने घरों के एकान्त से बाहर निकलकर विदेशी वस्तुओं व शराब बेचने वाली दुकानों व संस्थानों पर धरना देने को कहा।

अतः भारतीय महिलाओं ने इस आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी की जैसे–जुलूस निकालना, प्रभात फेरी निकालना, धरने का आयोजन के साथ खादी का प्रचार–प्रसार, चरखा चलाने का प्रशिक्षण, खादी बेचना, शराब बन्दी करना, नमक बेचना, देश की स्वाधीनता का प्रचार, सभाएं करना, छूआछूत मिटाने संबंधी उपदेश देना व कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाना आदि कार्य महिलाओं के जिम्मे थे।

महात्मा गाँधी के आह्वान पर भारतीय महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो महिलाएँ अकेले कभी अपनी देहरी से बाहर नहीं निकली थी और पर्दे में रह रही थी। उन सभी माताओं, बहनों, युवतियों व विधवाओं ने सदियों पुरानी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुये स्वतन्त्रता संधर्ष में भाग लेना प्रारम्भ किया।

सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, रामेश्वरी नेहरु, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, शारदा बेन, उर्मिला मेहता, कमला देवी, जयश्री राय, कुसुम सियानी, आदि के नाम भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के स्वर्णिम पृष्ठों पर सदैव अंकित रहेगें।

न केवल इन प्रसिद्ध महिलओं ने अपितु साधारण महिलाओं ने भी असीम देशभक्ति का परिचय देते हुये शराब की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलायी। स्थान–स्थान पर जुलूस निकाले, सभाएं आयोजित की, जेल गयी, लाठियों व गोलियों का भी सामना भी उन्होनें किया। कितनी ही महिलाएँ जेल में मृत्यु का ग्रास बनी, किन्तु फिर भी उनके उत्साह एवं बलिदानी बेला में उनके आत्मोसर्ग में न्यूवता नहीं आने पायी। अपने ध्येय व गाँधी जी के नेतृत्व में अटूट आस्था रखते हुये उन्होने झुकना स्वीकार नहीं किया भले ही उन्हें मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी।

''कांग्रेस महासमिति की अहमदाबाद बैठक में गाँधी जी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की सत्ता दे दी।'' **5**

गाँधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। सत्याग्रह आरम्भ करने से पहले 2 मार्च, 1930 को गाँधी जी ने वायसराय लार्ड इर्विन को एक पत्र लिखा जिसमें सरकार का ध्यान भारत की समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया, परन्तु सरकार के अड़ियल रुख के कारण गाँधी जी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करना पड़ा।

नमक कानून तोड़ने के विषय में उन्होने कहा कि ''11 मार्च, 1930 को वे साबरमती आश्रम से अपने साथियों को लेकर नमक कानून तोड़ने चल पड़ेगे। गरीबों की दृष्टि से वे इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझते है। इसलिये इस लड़ाई के विरोध की शुरुआत भी इसी अन्याय के विरोध से ही होगी।'' **6**

''सविनय अवज्ञा आन्दोलन दाण्डी यात्रा से आरम्भ हुआ। '' **7**

''नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से 12 मार्च, 1930 को गाँधी जी अपने 78 साथियों के साथ दाण्डी कूच पर निकल पड़े। वे 15 अप्रैल को दाण्डी पँहुचे। 6 अप्रैल को प्रातः समुद्र तट पर पड़े नमक को उठाकर उन्होने नमक कानून तोड़ दिया।'' **8**

इसके बाद देश में स्थान–स्थान पर नमक बनाकर सरकारी नियमों को तोड़ा गया अतः 'मेरठ' भी पीछे नहीं रहा।

ऋग्वैदिक नदियों गंगा और यमुना की जलधाराओं के मध्य अवस्थित मेरठ जिला सुदूर अतीत से ही ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र रहा है। इस ऐतिहासिक भूखण्ड के विषय में प्राचीन संस्कृत साहित्य में ही नहीं वरन् पाली प्राकृत और विपुल साहित्य में भी अनेक गौरवमय उल्लेख अंकित है। प्रागैतिहासिक युग में हुये महाभारत युद्ध के विभिन्न सन्दर्भ और उस विराट अतीत के अस्तित्व का बोध कराने वाली अनुश्रतियों कुरु राज्य की हृदयस्थली मेरठ की भूमि में हजारों वर्षो के अन्तराल के बाद आज भी जीवित है। मध्यकाल में आक्रमणकारियों के बर्बर अत्याचारों का खुलकर सामना करने और उनसे लोहा लेने में ये क्षेत्र अग्रणी रहा है।

जिन अंग्रेजों के राज्य में गत शताब्दी से सूर्य कभी अस्त नहीं होता था उन घोर साम्राज्यवादी अंग्रेजो सेमुकाबला करने और राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिये मेरठ की घरती से ही 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम भले ही उस समय सफल नहीं हो सका, किन्तु उसने जिस अग्नि को प्रदीप्त किया, वह आगे आने वाले 90 वर्षो तक ऐसी धधकी कि धधकती ही गयी और यह पुंज अन्ततः 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतन्त्रता के रुप में फलित हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन और संधर्ष के इन 90 वर्षो में मेरठ को केवल यह गौरव ही प्राप्त नहीं है कि इसने 10 मई, 1957 को स्वतन्त्रता संग्राम का सिंहनाद किया था। इतना ही नहीं वरन् भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकेप्रत्येक चरण में मेरठ की भूमिका सराहनीय है।

जिस दिन गाँधी जी ने दाण्डी मार्च आरम्भ किया उसी दिन 12 मार्च, 1930 को मेरठ में भी एक जुलूस बर्फखाना मैदान से आरम्भ होकर मेले नौचन्दी में जाकर अलगूराय शास्त्री के भाषण के बाद समाप्त हुआ।

मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी ने 13 अप्रैल को लोनी में नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मेरठ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का निश्चय किया गया। ''सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने जत्थे के रुप में कानून तोड़ने की योजना बनायी। '' 9

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सप्ताह के अन्त तक चला। इसका आरम्भ सत्याग्रही स्वयंसेवकों के दो जत्थे द्वारा किया गया। एक जत्था असौडा का तथा दूसरा जत्था में मेरठ का लोनी के लिये विभिन्न मार्गो से

पैदल यात्रा करता हुआ चला। असौडा से चलने वाला जत्था जब हापुड पहुँचा तो मार्ग में हजारों की संख्या में नर–नारी ने इस जत्थे का हार्दिक स्वागत किया। 8 अप्रैल को जब यह जत्था मेरठ पहुँचा तो ' द्रौपदी देवी ने अपनी ऊँगली काटकर खून से सत्याग्रहियों का तिलक लगाया। मेरठ में सत्याग्राहियों का कोलाहलपूर्ण वातावरण में स्वागत किया गया। चौधरी रघुवीर नारायण सिंह व अलगू राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस शहर के मुख्य मार्गो से निकाला जिसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया।

9 अप्रैल प्रातः को मेरठ से जत्था 13 अप्रैल को लोनी पहुँचा। लोनी में इस जत्थे के नेता रघुवीर नारायण सिंह ने मेरठ में सबसें पहले नमक कानून तोड़ा। नमक बनाकर उसके पैकेट बनाये गये और जिले के विभिन्न स्थानों पर इस नमक को बेचा गया, जिन्हे सैकडों लोगों ने भारी दाम देकर खरीदा। इस प्रकार गाँधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ते ही समस्त देश की भांति मेरठ में जगह–जगह नमक कानून तोड़ा गया। बड़ी–बड़ी कड़ाहो में नमक बनाया गया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन की कमेटी के दफ्तर में एक बुलेटिन रिपोर्ट दी कि निषिद्ध नमक की बिक्री करके 18 अप्रैल, 1930 तक 1400 रुपये की धनराशि एकत्र की गयी।

जिले भर में नमक बनाने का सिलसिला जारी रहा। लोनी, तनौरा, बड़ौत में स्वयंसेवकों ने नमक बनाया व गिरफ्तारियां दी। गाँधी जी ने एक पत्र द्वारा इन स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों पर बधाई दी। यहाँ की जनता ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के सत्याग्रहियों का भरपूर साथ दिया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। यह इस आन्दोलन की विशेषता थी कि सरकारी प्रतिरोध होते हुये भी जितनी तेजी से नमक बनाया गया उससे कही अधिक उसकी माँग बढ़ती गयी।

नमक सत्याग्रह से क्षुब्ध होकर व उग्र वातावरण देखते हुये सरकार ने प्रमुख कार्यकर्ताओं व सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जुर्माने व कारागार की सजायें दी। सरकार द्वारा प्रयुक्त दमन नीति ने सभ्य व्यवहार की सीमा पार कर दी थी।

'मेरठ में 28 अप्रैल, 1930 को बर्फखाना मैदान में महत्वपूर्ण सभा की गयी। जगन्नाथ प्रसाद (मेरठ वालियन्टर कोर के सेनापति) के नेतृत्व में 18 स्वयंसेवकों ने नमक बनाया। सभा के अन्त में स्टोव जलाकर विलायती कपड़ा भी जलाया गया। सभा में काजी नजीमुद्दीन, रामकृपाल सिंह, इन्द्रमणि तथा 150 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। '' **10**

नमक कानून तोड़ने के साथ ही मेरठ की जनता ने इस आन्दोलन में गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को शामिल कर लिया था। शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिग की गयी। खादी का प्रचार कार्य भी किया गया। कही–कही पर लोगों ने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र भी दिये।

मेरठ की महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक आन्दोलन में भाग लिया। इनमें से कुछ प्रमुख महिलायें कमला चौधरी, उर्मिला शास्त्री, प्रकाशवती सूद, कुसुमलता, सत्यवती, विमलापुरी, लीलावती, श्यामवती, शशि गोयल, चारुलता, शकुन्तला गोयल, बस्सो देवी, कृष्णा देवी, द्रोपदी देवी वैध आदि है।

''मार्च–अप्रैल, 1930 में महिलाओं ने अनेकों मीटिंग्स की व महिला सत्याग्रह समिति के नाम से एक संघ की स्थापना की। इस समिति में 103 सेविकाएं थी जो 10–11 सदस्यों की टोली में विभाजित हो गयी। इस आन्दोलन में मेरठ की महिलाओं ने एक सहायक अंग की तरह कार्य किया।'' **11**

''विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर महिलाओं ने बड़ी निर्भीकता से पिकेटिंग किया। '' **12**

इससे प्रभावित होकर कुछ दुकनदारों ने अपने गोदामों की चाबियां तक महिला स्वयंसेविकाओं को दे दी। इस जिले में राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलायें कभी पहले इतनी सक्रिय नहीं हो पायी थी लेकिन नमक आन्दोलन में उनका घरों से बाहर निकलकर सड़को पर आ जाना महत्वपूर्ण बात थी। ये महिलायें जत्थे बनाकर विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर पिकेंटिग करती थी तो उससे एक ओर तो पुरुषों के उत्साह में वृद्वि होती
थी तो दूसरी ओर दुकानदारों को भी अपने ऊपर कुछ न कुछ ग्लानि होती थी। इस आन्दोलन में मेरठ के सभी वर्गो के लोगों ने एकजुट होकर सक्रिय भाग लिया।

''मेरठ जिले में महिलाओं ने मोहल्ला सभाएँ की। इन सभाओं में विदेशी कपड़े व शराब के बहिष्कार नमक कानून के उल्लघंन के साथ ही विलायती कपड़ों की होली जलाने के लिये कहा जाता था। '' **13**

5 मई को गाँधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। गाँधी जी की गिरफ्तारी का समाचार देश भर में फैल गया। मेरठ में भी गाँधी जी की गिरफ्तारी का व्यापक प्रतिरोध किया गया।

''6 मई को गाँधी जी का चित्र लेकर एक वृहत जुलूस शहर के प्रमुख मार्गो से निकाला गया। जिसमें 15 से 20 हजार लोगों ने भाग लिया। जिनमें 2 हजार महिलाएँ उपस्थित थी। जलसे में ब्रह्मस्वरुप सोती ने देशभक्ति की कविता पढ़ी और प्यारेलाल शर्मा ने गाँधी जी के बलिदानों की तुलना क्राइस्ट से की। '' **14**

महात्मा गाँधी की प्रेरणा से राष्ट्रीयता की भावना से ओत–प्रोत होकर बालवृद्व नर–नारी, शिक्षित, अशिक्षित सभी वर्गो के व्यक्तियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रियता प्रदर्शित की। कांग्रेस के लिये यह काल ऐसा था जब मेरठ उसके कार्य–कलापों को सुदृढ केन्द्र बन चुका था। सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजादी की मशाल को प्रज्जवलशील बनाने में मेरठ की जनता ने जो सहयोग दिया, वह इतिहास में अविस्मरणीय रहेंगा।

मेरठ की महिलाओं की प्रशंसा में इण्डियन ऐनुअल रजिस्टर ने उचित समीक्षा करते लिखा था – ''भारतीय नारियों ने बडी महानता से आन्दोलन का नेतृत्व किया। '' **15**

इन्ही महिलाओं में से एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी मेरठ की तूफान मेल के नाम से जानी जाने वाली ''उर्मिला शास्त्री'' जी थी।

उर्मिला शास्त्री जी का जन्म 20 अगस्त, 1909 को श्री नगर में हुआ था। इनका परिवार कुलीन व शिक्षित था। इनके पिता लाला चिरंजीत लाल स्वामी दयानन्द के परमभक्त थे। ये एक आर्यसमाजी परिवार की थी अतः समाज सुधार के साथ रुढ़ियों व परम्पराओं के प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक था। इनकी बड़ी बहन सत्यवती मलिक भी स्वतन्त्रता सेनानी व प्रख्यात लेखिका थी। छोटी बहन पुरुषार्थ कवियत्री थी। उर्मिला देवी ने विधिवत् मिडिल तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी व स्व–अध्ययन से इन्होने अंग्रेजी व संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया व इन भाषाओं में महारत हासिल कर कई शास्त्रीय परीक्षाएं उर्त्तीण की व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होने आर्य कन्या गुरुकुल, देहरादून में अवैतनिक अध्यापन कार्य किया। समाज सुधार के साथ देश सेवा की भावना और प्रेरणा उन्हे जमनालाल बजाज से मिली। अपनी पुस्तक ''कारागार'' में इन्होने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है।

बीस वर्ष की आयु में अपने सुधारवादी आर्यसमाजी संस्कारों के अनुरुप जाति बंधन तोड़कर मेरठ के प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर धमेन्द्र नाथ शास्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार इन्होने अपने दाम्पत्य जीवन में कदम रखा ही था कि महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर वे 1930 में स्चतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़ी। मेरठ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में इन्होने सक्रियता–पूर्वक भाग लिया। गाँधी जी का उन पर ऐसा जादू हुआ कि उसका प्रभाव जीवन पर्यन्त इनके व्यक्तित्व में परिलक्षित रहा।

उर्मिला जी महिला सत्याग्रह समिति की उपाध्यक्ष चुनी गयी।

''मेरठ में 12 मार्च, 1930 को एक सभा आयोजित की गयी। जिसमें लगभग 100 महिलाओं ने भाग लिया। उर्मिला जी ने इस सभा की अध्यक्षता करते हुये महिलाओं से अपील की कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लें। '' **16**

महिलाओं में उर्मिला शास्त्री, प्रकाशवती सूद व कुसुमलता गर्ग ने अथक परिश्रम किया। यह तीनों महिलायें ''तूफान मेल'', ''पंजाब मेल'' व ''कालका मेल'' के उपनामों के नाम से सम्मानपूर्वक पुकारी जाती थी। इन्होने कुछ निकटवर्ती ग्रामीण महिलाओं के बीच जाकर उन्हें कार्य करने की प्रेरणा दी। फलस्वरुप ग्रामीण महिलाओं में गर्व का भाव उत्पन्न हुआ। जिसके प्रभाववश कई ग्रामों में महिलाओं ने अपने पुरुषों को तिलक लगाकर आन्दोलन में भाग लेने हेतु घरों से विदा किया।

''उर्मिला जी ने सदर बाजार की वेश्याओं की एक सभा को सम्बोधित किया और उन्हे खादी पहनने के लिये प्रोत्साहित किया। वैश्याओं ने भी इनके सामने प्रतिज्ञा ली कि वे खादी के वस्त्र पहनेगी।'' **17**

मेरठ के प्रसिद्ध नौचन्दी मेले में विदेशी कपड़ो के बहिष्कार आन्दोलन को चलाने वाली महिला संगठन का नेतृत्व उर्मिला देवी के हाथ में था। इन्होने घर–घर जाकर महिलाओं को खादी पहनने को प्रोत्साहित किया। कई स्थानों पर विलायती कपड़ा जलाया गया और विलायती कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग की गयी। उनके आने मात्र की सूचना सुनते ही विलायती कपड़ा विक्रेता अपनी दुकानों के दरवाजे बन्द कर देते थे। यह पिकेटिंग इतनी पूर्ण एवं प्रभावशाली रही कि इसके परिणामस्वरुप विलायती कपड़ों के विक्रेताओं ने एक समझौते द्वारा तय किया कि वे एक साल तक विलायती कपड़ा नहीं बेचेगें। जिससे विलायती कपड़ों की मॉग घटती गयी व खादी की बिक्री बढ़ती गयी इससे खादी आश्रम को 50,000 रुपये का लाभ हुआ।'' **18**

''पुलिस रिर्पोट के अनुसार मुसद्दीलाल (अध्यक्ष, पब्लिसिटी ब्रांच ऑफ मेरठ सत्याग्रह आश्रम) ने छोटे–छोटे पत्रक या स्वदेशी प्लेज इस उद्देश्य से पूरे जिले में बॉटे।'' **19**

उर्मिला जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा भाषण क्षमता के आधार पर अल्पावधि मे ही सैकड़ों व्यक्तियों ने स्वदेशी प्लेज पर हस्ताक्षर करके उन्हे दिये। उर्मिला जी में संगठन व नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी इसका प्रमाण तब मिला जब गाँधी जी बन्दी बना लिये गये और आन्दोलन के शिथिल होने की संभावना दिखाई देने लगी। उर्मिला जी ने बिना विलम्ब किये तीन हजार महिलाओं को संगठित किया और उन्हे सात टोलियों में बॉटकर अलग क्षेत्रों में कार्य पर लगा दिया। गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में इन्होने नगर में कई सभायें की। कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने लोगों से अपील की कि वे निषिद्ध नमक और भी तेजी से बनाये और विलायती कपड़ों का बहिष्कार करे।

30 मई, 1930 को धमकी निवारण अध्यादेश (प्रेविन्शन ऑफ इन्टीमिडेशन आर्डिनेन्स) बनाया गया। जुलाई में यह अध्यादेश सम्पूर्ण मेरठ में लागू किया गया। उर्मिला शास्त्री जी ने सरकारी दमन नीति के विरोध में सरकारी माल के बहिष्कार और धरना देने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने की अपील की।

'7 जुलाई को इन्होने विद्यार्थियों की सभा को संबोधित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे खादी पहने और संकल्प करे कि वे खादी न पहनने वाले अध्यापकों की कक्षा का बहिष्कार करेंगें। '' **20**

इनकी सक्रियता देखकर अंग्रेज सरकार डर गयी। मेरठ कालेज में प्रोफेसर इनके पति श्री धमेन्द्र नाथ शास्त्री के लिये शिक्षा निदेशक ने प्राचार्य को निर्देश दिया कि वे प्रोफेसर साहब से कहे कि अपनी पत्नी को राजनीति में भाग लेने से रोके। '' **21**

मेरठ के प्रसिद्ध नेता पं0 प्यारेलाल शर्मा जी के बन्दी बनाये जाने पर 17 जुलाई की सन्ध्या को दस हजार लोगों की एक जनसभा को संबोधित करते हुये ब्रिटिश शासन के अत्याचारों व स्वतन्त्रता के महत्व पर बहुत ही ओजस्वी भाषण इन्होने दिया। जिसके परिणामस्वरुप दिन निकलते ही इन्हें बंदी बना लिया गया। इन पर मुकदमा चलाया गया व छः मास की जेल की सजा मिली। जेल जिसे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर वे ''स्वराज – मन्दिर'' कहती थी।

इन्होने स्वयं अपने भाषण में कहा था ''जेल न सिडिशन से मिलती है न शराब की पिकेटिंग से और न कपड़े के बॉयकाट कराने से। वह तो केवल भाग्य से मिलती है। '' **22**

मजिस्ट्रेट ने इनसे कहा यदि ये माफी मांग लेती है तो इनकी सजा माफ कर दी जायेगी पर इन्होने माफी मॉगने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया।

इस प्रकार 21 वर्ष की अवस्था में वे जेल गयी।

जेल जाते समय इन्होने मेरठवासियों से कहा कि ''आपने मुझे बहन कहा है, अतः आपकी यह बहन आपसे विदा ले रही है। मै आपसे यह कहना चाहती हूँ के मेरठ के प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति स्वतन्त्रता संग्राम रुपी यज्ञ में प्रतिभाग लें।'' प्रत्युत्तर में मेरठ वासियों ने कहा कि मेरठ के प्रत्येक घर से एक बलिदानी होगा।

इन्होने जेल जीवन के अनुभवों पर ''कारागार'' पुस्तक लिखी जो उनके जेल संस्मरणों की डायरी है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जब राजनीतिक बंदी होना गर्व की बात मानी जाती थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना कस्तूरवा गॉधी जी ने लिखी जिसमें उन्होने लिखा है ''जो बहनें जेल जाकर आयी है उन्हें यह पुस्तक पढ़कर अपने जेल जीवन के दिन पुनः स्मरण हो उठेगें जिन बहनों को बहन उर्मिला की भांति जेल जाने का सौभाग्य न मिला होगा वह इस बहन से ईर्ष्या करेगी।'' आगे कस्तूरबा जी भारतीय महिलाओं के त्याग व बलिदान का विवरण देते हुये लिखती है कि ''केसरी साड़ी परिधान धारण करने वाली देश सेविकाओं ने जेल के कष्ट को फीका कर देने वाले दु'ख सहें। ''

सरल व स्पष्ट भाषा शैली में लिखा उनका यह जेल संस्मरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संस्मरण में उर्मिला जी ने जेल जीवन का जो आन्तरिक चित्रण इन्होने प्रस्तुत किया है जिसकी वे स्वयं साक्षी है वह अद्भुत है। जेल जाने से लेकर जेल से अपनी मुक्ति तक पुस्तक पन्द्रह अध्यायों में विभक्त है।

इस पुस्तक के अध्याय ''संजीवनी सुधा'' पढ़कर मन गर्व से भर उठता है कि किस तरह से आजादी के मतवाले राष्ट्रगान, झण्ड़ागान को गाकर जेल की एकान्त में गाकर देशभक्ति के उत्साह से भर उठते थे। पाठकों के सामने एक चलचित्र सा चलने लगता है।

''खून के ऑसू अध्याय मार्मिक दृश्य उत्पन्न करता भूख–हड़ताल पर बैठे शान्ति शरण को 30 बेंतों की जो सजा मिली उसे पढ़कर हृदय करुणा से भर उठता है। जिन तेरह देशभक्त वीरों के नाम उर्मिला जी ने इस अध्याय में दिये है वे अमूल्य है कि किस तरह से भारत माता के वीरों ने देश के लिये कुरबानियॉ दी।

जेल में मेरठ कॉलेज के प्राचार्य की पत्नी श्रीमती ओडॉनल व अपनी साथियों श्रीमती प्रकाशवती, श्रीमती विद्यावती व चरखा संघ की अध्यक्षा कमला देवी चौधरानी से अपनी प्रेमपूर्ण मुलाकात का वर्णन करती है।

ये पुस्तक इन्होने श्री जमनालाल बजाज जी को समर्पित की है। स्वयं इन्होने अपनी किताब में लिखा है कि स्वाधीनता आन्दोलन की पहली प्रेरणा इन्हे श्री जमुनालाल बजाज जी से ही मिली है।

जेल जीवन का प्रत्येक छोटे से छोटा विवरण उनकी ऑखों से छूट नहीं पाया है। जेल की भौतिक अवस्था, जेल में मिलने वाले भोजन, जेल में श्रेणी भेद, जेल में महिला कैदियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, जेल के अधिकारियों, लेडी वार्डर का भ्रष्ट आचरण, भारतीय सुपरिटेण्डेन्ट व ब्रिटिश सुपरिटेण्डेन्ट द्वारा स्वयं के प्रति किये जाने वाला व्यवहार जिनमें ब्रिटिश सुपरिटेण्डेन्ट उनसे आदर से मिलता है जबकि भारतीय सुपरिटेण्डेन्ट का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था। अपने एकाकीपन भारतीय जेलों में महिलाओं की दुर्दशा इन सबका जैसा वर्णन उर्मिला जी ने किया है हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि औपनिवेशिक काल में जेल में महिलाओं की दशा और स्वतन्त्र भारत में जेल में महिलाओं की दशा में कुछ खास अन्तर नहीं है। हमें इनमें सुधार करना होगा।

उनका यह कहना कि कोई भी व्यक्ति जिसने चाहे कितना भी भंयकर अपराध किया हो हिन्दुस्तान की इन जेलों में उसे नहीं भेजना चाहिये। साथ ही अपनी प्रगतिशील विचारों से जेल में सुधार के लिये विद्यालय व कारखानों की कल्पना करती है। जिससे जेलों का सुधार हो।

अपने भावों को जिस सहजता से पन्नों पर उकेरा है – वह अतुलनीय है। इस प्रकार सरल व स्पष्ट भाषा में लिखा उनका ये जेल संस्मरण न केवल आत्मचरित की दृष्टि से अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समक्ष महिला स्वतन्त्रता सेनानियों के कुछ ही संस्मरण है। उस समय की जेल की दशा, लेडी वार्डर व जेल अधिकारियों का कैदियों के प्रति बर्ताव का प्रत्यक्ष विवरण जो उर्मिला जी की यह पुस्तक हमें सोचने

को विवश कर देती है कि आज हम जिस आजादी का आनन्द ले रहे है वह हमारे पूर्वजों के कितने बलिदानों के बाद हमें मिली है।

जेल के वातावरण तथा व्यवहार से उनका स्वास्थ्य बिगड गया। उर्मिला जी जब जेल से मुक्त हुई तो दो महीने उन्हें स्वास्थ्य सुधारने में लग गये। कुछ समय तक इन्होने लाहौर से निकलने वाले ''जन्मभूमि'' नामक दैनिक पत्र का सम्पादन शुरु कर दिया। उनके पत्र के सम्पादकीय उनके भाषणों की तरह ही तर्क पूर्ण व जोशीले होते थे।

जब मेरठ में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिये कांग्रेस सत्याग्रह समिति का गठन किया गया। 2 जनवरी को मेरठ जिले तथा शहर सत्याग्रह की रुपरेखा तैयार की गयी जिसमें कांग्रेस संगठन के सदस्यों तथा महिला सत्याग्रहियों को भाग लेना था। दो समिति गठित की गयी, पहली समिति का कार्य आन्दोलन चलाना था, दूसरी का कार्य रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा देना था। गाँधी जी द्वारा 80 सत्याग्रहियों की सूची अनुमोदित की गयी जिनमें उर्मिला जी का नाम भी था। इन्होने अन्य सदस्यों के साथ 6–13 जनवरी, 1941 के बीच सत्याग्रह चलाया। 18 फरवरी, 1941 तक 89 सत्याग्रही गिरफ्तार हुये, जिनमें उर्मिला जी भी एक थी।

इन्हे ''भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान पुनः बन्दी बना लिया गया व छः महीने के लिये जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हे दूसरे कैदियों से अलग रखा गया व इनकी बीमारी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अतः एकाकीपन, उपचार के अभाव व अस्वास्थ्यकर वातावरण व खराब भोजन के कारण वह गम्भीर रुप से बीमार हो गई। उन्हे गर्भाशय का कैंसर हो गया। वे असहनीय पीड़ा सहती रही। किन्तु उन्होने माफी मॉफी नहीं मांगी। जब वे मरणासन्न अवस्था में पहुॅच गई तो उन्हे रिहा कर दिया गया। इस प्रकार उर्मिला जी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुये होठों पे मुस्कान व दिल में गाँधी जी का स्वप्न लेकर इन्होने संसार से विदा ली।

जिस तरह मेरठ से जुड़ी लेखिका पर एकांत व अलगाव का प्रभाव स्वतन्त्रता पूर्व जेल में जीवन के बारे में जो विहंगम दृश्य उर्मिला जी ने महसूस किये थे, उनका दर्द तथा दृढ़ संकल्प के साथ प्रभावी शब्द पाठकों के ह्रदय को छू जाते है।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में उर्मिला जी का योगदान स्मरणीय होगा। राष्ट्रीय अस्मिता को जाग्रत करने में उनकी महती भूमिका सराहनीय है स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर उन्होने अपना सर्वत्र त्याग दिया। उनके योगदान की सतत् स्मृति के आलोक में यह देश स्वयं को ऊर्जावान बनाये रखेगा।

इस प्रकार आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से इन प्रेरणादायी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी किन्तु इतिहास के पन्नों में विस्मृत उर्मिला जी को इतिहास में उचित स्थान दिला सके। यही इनको हमारी सच्ची श्रद्धाजंली होगी।

सन्दर्भ :–

1. गाँधी, एम.के. : दि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेन्ट विद ट्रूथ, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1927, पृ. 20
2. सिंह, वीरकेश्वर : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 47
3. चटर्जी, मानिनी : 1930 : टर्निंग पाइन्ट इन दि पार्टिसिपेशन ऑफ वूमन इन फ्रीडम स्ट्रगल, वाल्यूम – 29, नं0 7/8 (July/Aug, 2001), पृ. 41
4. बासु, अपर्णा : दि रोल ऑफ वूमन इन द इण्डियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1976, पृ. 20
5. रमैया, सीता पटामि : कांग्रेस का इतिहास, सस्ता साहित्य मण्ड़ल, दिल्ली, 1935, पृ. 360
6. रमैया, सीता पटामि : कांग्रेस का इतिहास, सस्ता साहित्य मण्ड़ल, दिल्ली, 1935, पृ. 146
7. वही पृ0 361
8. दत्त, पाम रजनी : आज का भारत, दि मैकमिलन कं0 ऑफ इण्डिया, दिल्ली, पैरा पृ0 423
9. फोर्टनाइटली रिपोर्ट फार दि फर्स्ट ऑफ एप्रिल, 1930, होम पॉलिटिकल फाइल 1815
10. यू0 पी0 पुलिस सीक्रेट ऐब्सट्रेक्ट, 1930, पैरा 353
11. यू0 पी0 पुलिस सीक्रेट एब्सट्रेक्ट, अप्रैल, 1930, पैरा 333
12. एस.ए. लखनऊ, यू0पी0 पुलिस डिपार्टमेन्ट प्रोसीडिंग्स, 1930, फाइल नं0 151
13. यू0 पी0 पुलिस सीक्रेट एब्सट्रेक्ट, 1930 पैरा – 420/एच
14. एस.ए. लखनऊ, यू0पी0 पुलिस डिपार्टमेन्ट प्रोसीडिंग्स, बी–1, 1930, फाइल नं0 106
15. दि इण्डियन एनुअल रजिस्टर, वाल्यूम 1, 1930, पृ0 80 A
16. यू0पी0 पुलिस सीक्रेट ऐब्सट्रेक्ट, 1930, पैरा 353 (एच)
17. यू0पी0 पुलिस सीक्रेट एब्सट्रेक्ट, अप्रैल, 1930, पैरा 333
18. एम.ए. लखनऊ, यू0पी0 पुलिस डिपार्टमेन्ट प्रोसीडिंग्स, 1930, फाइल नं0 151
19. यू0पी0 पुलिस सीक्रेट एब्सट्रेक्ट, जून, 1930, पैरा – 418 (सी)
20. वही पैरा, 563 (डी)
21. राष्ट्रीय अभिलेखागार, सीताराम पेपर्स, फाइल नं0 2/2 भाग ।।, 1930–34 D.O.N. 695/5 कमिश्नर द्वारा प्राचार्य को लिखा गया।
22. शास्त्री, उर्मिला, माई डेज इन प्रिजन/कारागार, हार्पर कालिन्स पब्लिशर्स, नोयडा, 2012, पृ0 54

23. श्री वेदप्रकाश बटुक से (स्वतन्त्रता सेनानी), उम्र 89 वर्ष, से लेखिका का साक्षात्कार 20 जुलाई, 2009 पर आधारित।